न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 220/2017–18

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

घसिया मुण्डा – विक्रेता

मंजरी ओड़ेया – क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
26.07.18	**आदेश**	

आवेदक घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने मंजरी ओड़ेया पिता स्व0 क्लेमेन्ट ओड़ेया ग्राम जियारप्पा, थाना खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के वि क्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा (एकड़ में)
जियारप्पा	227	05	2063	0.20

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/निबंधन पट्टा एवं लगान की रसीद सं0 1499170357 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 480 दिनांक 21.12.17 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खरीदगी है। खतियानी रैयत का नाम कईला मुण्डा वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा के नाम भूमि का रकबा 1.21 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकवा 24.35 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017–18 तक किया गया है। भूमि का न्युनतम प्रस्तावित दर 9214.00(नौ हजार दो सौ चौदह)रू0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के वि क्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि वि क्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 24.15 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रे ता एवं वि क्रे ता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु वि क्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रे ता – विक्रे ता को भूमि क्रय – वि क्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण घसिया मुण्डा पिता राम मुण्डा को मंजरी ओड़ेया पिता स्व0 क्लेमेन्ट ओड़ेया के साथ ग्राम जियारप्पा के खाता सं0 05 खेसरा संख्या 2063 का रकबा 0.20 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 9214.00(नौ हजार दो सौ चौदह)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि वि क्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

26/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

26/07/18

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।